न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या—01, महराजगंज।

उपस्थितः पवन कुमार श्रीवास्तव, एच0जे0एस0

सिविल पुनरीक्षण सं0—30/2023

(C.N.R.UPMH01-005071-2023)

1.नरेन्द्र देव गौंड पुत्र देवीचरन गौंड निवासी मौजा पिपरा काजी ब्लाक व तहसील निचलौल, थाना निचलौल, जिला महराजगंज ....निगरानीकर्ता/याची

बनाम

1.उत्तर प्रदेश सरकार बजरिए उपजिलाधिकारी निचलौल, तहसील निचलौल, जिला महराजगंज।

2.जिला निर्वाचन अधिकारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 जनपद महराजगंज।

3.उप निर्वाचन अधिकारी ग्राम पंचायत पिपरा काजी क्षेत्र पंचायत निचलौल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 थाना निचलौल तप्पा खास परगना तिलपुर तहसील निचलौल, जिला महराजगंज।

4.मनोज कुमार पुत्र चुन्नी निवासी मौजा पिपरा काजी टोला कपिया, विकास खण्ड व तहसील निचलौल, जनपद महराजगंज।

....विपक्षीगण

निर्णय

1. निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत निगरानी विद्वान विहित प्राधिकारी/ उपजिलाधिकारी, निचलौल, महराजगंज द्वारा वाद संख्या—4118/2021 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या—टी202105470204118 मनोज बनाम नरेन्द्र अन्तर्गत धारा—12ग उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1947 में पारित आदेश दिनांक 02.11.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रश्नगत आदेश के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने याची की चुनाव याचिका दिनांक 21.06.2021 स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत पिपरा काजी तप्पा खास, परगना तिलपुर ब्लाक व तहसील निचलौल जिला महराजगंज के ग्राम प्रधान पद पर विपक्षी नरेन्द्र देव पुत्र देवीचरन के निर्वाचन को निरस्त किया गया है।

2. निगरानी याचिका में निगरानीकर्ता द्वारा यह तथ्य उल्लिखित किया गया है कि निगरानीकर्ता का नाम निर्वाचन नामावली में ग्राम पिपरा काजी में दर्ज है। उक्त त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 की घोषणा राज्य निर्वाचन

आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा की गयी और निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की गयी एवं निगरानीकर्ता ग्राम सभा चुनाव हेतु अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुआ। निगरानीकर्ता द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 हेतु नामांकन पत्र दाखिल किया गया जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा सत्य पाया गया और निगरानीकर्ता को उक्त निर्वाचन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। निगरानीकर्ता द्वारा नामांकन पत्र के साथ तहसील द्वारा जारी अनुसूचित जन जाति का प्रमाणपत्र दाखिल किया गया, जिसे वैध पाते हुए याची को चुनाव लड़ने हेतु सक्षम घोषित किया गया। चुनाव की प्रक्रिया अख्तियार की गयी और चुनाव हुआ और निगरानीकर्ता को दिनांक 03.05.2021 की सुबह ग्राम प्रधान निर्वाचित घोषित किया गया और तत्सम्बन्ध में प्रमाणपत्र दिया गया, जिसके विरूद्ध शिकायतकर्ता मनोज पुत्र चुन्नी विपक्षी संख्या–4 द्वारा उप जिलाधिकारी निचालैल, तहसील निचलौल जनपद महराजगंज के समक्ष याचिका संख्या 4118/21, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या–टी202105470204118 मनोज बनाम नरेन्द्र वगैरह दाखिल किया गया जिसमें विद्वान उपजिलाधिकारी निचलौल ने दिनांक 02.11.2023 को याचिका स्वीकार कर निगरानीकर्ता के निर्वाचन को निरस्त कर दिया और यह भी लिखा गया कि यह आदेश माननीय राज्य स्तरीय संविक्षा समिति के निर्णय के अधीन होगा, उक्त निर्णय के विरूद्ध यह निगरानी पंचायत राज अधिनियम की धारा–12(ग)(6) के अन्तर्गत दाखिल की जा रही है।

3. निगरानी में यह आधार लिया गया है कि विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा निर्वाचन याचिका में दिनांक 02.11.2023 को पारित निर्णय मनमाना है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यकों पर न्यायिक विवेचना नहीं किया गया तथा आलोच्याधीन निर्णय बिना किसी तर्क संगत व विधिक आधार के है, इसलिए मूक निर्णय है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा–12ग उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के नियमों के अनुसार निर्णय पारित नहीं किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओं का अनुसरण न करके उन्हें निष्प्रयोज्य माना गया है। निगरानीकर्ता द्वारा विहित प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिसे नजरन्दाज कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। आलोच्याधीन निर्णय में विहित प्राधिकारी द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं किया गया है व उक्त साक्ष्यों पर न्यायिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। विहित प्राधिकारी द्वारा याचिका हेतु याची द्वारा

निर्धारित मानकों को पूरा नहीं किया गया फिर भी क्यासी तौर पर केवल सम्भावनाओं पर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। निवेदन किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 02.11.2023 को अपास्त कर निगरानीकर्ता को ग्राम सभा पिपरा काजी क्षेत्र पंचायत निचलौल, तहसील व थाना निचलौल जनपद महराजगंज के ग्राम प्रधान पद पर नियमानुसार बने रहने का आदेश दिया जावे।

4. उक्त निगरानी के साथ विचारण न्यायालय के आदेश की प्रति, छायाप्रति आधार कार्ड, जबाबदेही की प्रति, छायाप्रति जाति प्रमाणपत्र एवं छायाप्रति परिवार रजिस्टर की नकल को दाखिल किया गया है तथा इसी सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी, निचलौल, महराजगंज के समक्ष लम्बित निर्वाचन याचिका की पत्रावली भी तलब होकर प्राप्त है।

5. विपक्षी संख्या—1 ता 3 पर तामीला पर्याप्त है। विपक्षी संख्या—1 ता 3 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) श्री रमेश कुमार मिश्र तथा विपक्षी संख्या—4 मय अधिवक्ता उपस्थित आया, जिनके द्वारा निगरानी का विरोध किया गया।

6. मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमशंकर मिश्र, विपक्षी संख्या—1 ता 3 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) श्री रमेश कुमार मिश्र तथा विपक्षी संख्या—4 के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार यादव को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. इस निगरानी के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विद्वान निर्वाचन अधिकारी ने आक्षेपित आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गयी है अथवा क्षेत्राधिकारिता संबंधित त्रुटि की गयी है?

8. निगरानी पर बल देते हुए निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान विहित प्राधिकारी ने चुनाव याचिका निस्तारित करने में सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। निगरानीकर्ता को साक्ष्य हेतु अवसर नहीं दिया गया। निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष निगरानी याचिका की पोषणीयता के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। आक्षेपित आदेश पारित करने में प्रत्येक वाद विवाद्यक पर पृथक निष्कर्ष अंकित नहीं किया गया है और छाया प्रति प्रलेखों के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया है। मौखिक साक्ष्य का अवसर नहीं

दिया गया। विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया है कि निगरानीकर्ता का जाति प्रमाणपत्र अभी अन्तिम रूप से निरस्त नहीं हुआ है और उसकी अपील माननीय राज्य स्तरीय समीक्षा समिति के समक्ष लम्बित है। ऐसी परिस्थिति में **फरजन्द अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2019 (1) आर.एल.टी. 306** की विधिव्यवस्था लागू होती है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा इसी प्रकार के मामले में निर्धारित किया गया था कि यदि जाति प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में मामला लम्बित है तो जिला मजिस्ट्रेट याची को प्रधान पद से हटा नहीं सकता है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी याचिका पर बल देते हुए यह भी तर्क दिया गया कि याची का जाति प्रमाणपत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है कि उसके पूर्वजों द्वारा प्रस्तुत किये गये विक्रय विलेख में भिन्न जाति अंकित है, जो कि त्रुटिपूर्ण आदेश है। विद्वान अधिवक्ता ने इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **भइया राम मुण्डा बनाम अनिरूद्ध पातर व अन्य ए.आई.आर. 1971 एस. सी. 2533** प्रस्तुत की है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि सम्पत्ति अन्तरण सम्बन्धी विलेख में यदि अनूसूचित जन जाति के सदस्य द्वारा यह उल्लेख कर दिया गया है कि वह अनुसूचित जन जाति का सदस्य नहीं है, जिससे कि वह पंजीयन मना किये जाने से बच सके तो इस आधार पर उसका अनुसूचित जाति के सदस्य होने की प्रास्थिति निरस्त नहीं की जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने प्रार्थना की गयी।

9. प्रत्यर्थीगण की ओर से यह बल पूर्वक तर्क दिया गया कि विद्वान विहित प्राधिकारी का आदेश अभी अन्तिम आदेश नहीं है, क्योंकि आदेश में ही यह उल्लेख किया गया है कि विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश माननीय राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति के निर्णय के अधीन होगा। यह भी तर्क दिया गया कि राज्य समिति द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में निगरानीकर्ता के पास वैध जाति प्रमाणपत्र नहीं है और वह ग्राम पंचायत पिपराकाजी के प्रधान पद के लिए निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखता है, क्योंकि उक्त पद अनुसूचित जाति के सदस्य हेतु आरक्षित है। यह भी तर्क दिया गया कि एक अयोग्य व्यक्ति को ग्राम प्रधान के पद पर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और मानीय उच्च

न्यायालय की **फरजन्द अली** की विधि व्यवस्था इस प्रकरण में लागू नहीं होती, क्योंकि उक्त विधि व्यवस्था पर विचार करते हुए इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **रिट सी नं0—4945 / 23 नरेन्द्र देव बनाम स्टेट आाफ यू0 पी0 राज्य निर्णय तिथि 01.03.2023** में यह स्पष्ट प्रेक्षण किया गया है कि चुनाव याचिका निस्तारित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। उपरोक्त आधारों पर तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को सम्बन्धित ग्राम प्रधान का पद धारित करने की न्यूनतम योग्यता न होने के कारण उसे कोई अनुतोष नहीं दिया जाना चाहिए। निगरानी याचिका निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

10. उभ्यपक्ष को सुनने के पश्चवात निगरानी याचिका के पोषणीयता के सम्बन्ध में यह न्यायालय इस मत का है कि विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तर्वर्ती आदेश नहीं है, अपितु अन्तिम आदेश है, क्योंकि विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करके अपने न्यायालय में लम्बित चुनाव याचिका अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए निगरानीकर्ता के ग्राम प्रधान के पद का निर्वाचन निरस्त किया गया है। अतः विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित निगरानी याचिका की कार्यवाही आक्षेपित आदेश से अन्तिम रूप से समाप्त हो चुकी है। अतः न्यायालय इस मत का है कि यह निगरानी याचिका विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा पारित अन्तिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने के कारण पोषणीय है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **साहबाबू लाल खीमजी बनाम जे.डी.कानिया ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1786** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि किसी आदेश से वाद या कार्यवाही का अन्त हो जाता है तो ऐसा आदेश निर्णय माना जायेगा।

11. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवकता ने विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित प्रक्रिया का अनुपालन न करने का आक्षेप लगाया है और उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के नियम—4 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया है, जिसमें यह प्रावधान है कि निर्वाचन याचिका की सुनवाई जहां तक सम्भव हो उस प्रक्रिया से की जायेगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन वादों की सुनवाई के लिए दी गयी है। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता

ने यह भी तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश उपरोक्त नियमावली के नियम—4 के उप नियम 3 का भी उल्लंघन करता है, जिसमें यह प्रावधानित है कि विहित प्राधिकारी किसी व्यक्ति का निर्वाचन अवैध होने की दशा में या तो यह घोषित करेंगे कि उक्त पद रिक्त हो गया है या अन्य किसी उम्मीदवार को वैध तरीके से निर्वाचित घोषित करेंगे। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विहित प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त आज्ञापक प्रावधान का पालन नहीं किया है और विधि विरूद्ध रूप से आदेश पारित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत पोषणीयता सम्बन्धी प्रार्थनापत्र पर कोई विचार नहीं किया गया है।

12. उपरोक्त तर्कों के सम्बन्ध में मेरे द्वारा विद्वान विहित प्राधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अनुरक्षित आदेश पत्र के अवलोकन से यह विदित होता है कि विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर कुल 09 वाद बिन्दुओं का सृजन किया गया, जो कि निम्न है—

1— क्या विपक्षीगण प्रथम पक्ष के नामांकन को विधि विरूद्ध ढंग से रिटनिंग आफिसर ने वैध कराकर दिया है? यदि हां तो इसका प्रभाव।

2— क्या विपक्षी सं0—1 अनुसूचित जनजाति गोंड है? यदि हां तो प्रभाव।

3— क्या विपक्षी सं0—1 का जाति प्रमाण पत्र जिला सत्यापन समिति ने खारिज कर दिया है? यदि हां तो उसका प्रभाव।

4— क्या विपक्षी सं0—1 पिछड़ी जाति कहार है?

5— क्या चुनाव याचिका में पक्षों के कुसंयोजन का दोष है?

6— क्या याची ग्राम पंचायत पिपराकाजी के प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया था? यदि नहीं तो उसका प्रभाव।

7— क्या याची को याचिका दाखिल करने का अधिकार है?

8— क्या जाति प्रमाण पत्र जांच करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है?

9– क्या अध्यक्ष मण्डलीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति गोरखपुर मण्डल गोरखपुर के समक्ष जाति प्रमाणपत्र के बावत अपील दाखिल है? यदि हां तो उसका प्रभाव।

13. उपरोक्त वाद बिन्दुओं के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि निर्वाचन याचिका पर उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के धारा–12ग के अधीन विचार किया जाता है और यह याचिका उक्त धारा के अन्तर्गत निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जाती है–

क– यह है कि निर्वाचन इस कारण स्वतंत्र निर्वाचन नहीं था कि इनमें व्यापक रूप से घूसखोरी के भ्रष्टाचार अथवा अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया था, अथवा

ख– निर्वाचन के परिणामों पर–

(i) किसी नाम निर्देशन पत्र की अनुचित स्वीकृत या अस्वीकृति का, अथवा

(ii) इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुपालन की घोर उपेक्षा का सारवान प्रभाव पड़ा है।

14. विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा निर्मित वाद बिन्दुओं में उपरोक्त आधारों का उल्लेख नहीं किया गया है। विद्वान विहित प्राधिकारी ने अपने निर्णय में इस बिन्दु पर विशेष बल दिया है कि निगरानीकर्ता/विपक्षी का जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति महराजगंज द्वारा निरस्त किया गया, जिसकी अपील मण्डलीय सत्यापन समिति द्वारा भी निरस्त कर दी गयी है। विद्वान विहित प्राधिकारी ने इस सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया है कि किस प्रकार से निर्वाचन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार अथवा अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया या किसी नाम निर्देशन पत्र की अनुचित स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की गयी या नियमों के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया। इस स्तर पर यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता नरेन्द्र देव को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत याचिका में एक मात्र आधार यह है कि विपक्षी सं0–1 का नामांकन पत्र सही नहीं रहा है, क्योंकि उसने अवैध जाति प्रमाण–पत्र दखिल किया था। निर्वाचन अधिकारी को निगरानीकर्ता का नामांकन पत्र स्वीकार नहीं करना चाहिए था। निगरानीकर्ता ने

विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष जबाबदेही प्रस्तुत कर यह आधार लिया था कि वह अनुसूचित जन जाति का सदस्य है और चुनाव लड़ने के लिए योग्य प्रत्याशी रहा है। उसका पर्चा नियमानुसार पूरी जांच के बाद वैध पाया गया था। यह उल्लेखनीय है कि विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा विपक्षी / याचिकाकर्ता के उपरोक्त आपत्ति एवं निगरानीकर्ता / विपक्षी के उपरोक्त उत्तर पर यह निष्कर्ष अंकित नहीं किया गया है कि क्या निर्वाचन के समय निगरानीकर्ता पद धारित करने की योग्यता रखता था अथवा नहीं? अभिलेख के अवलोकन के उपरान्त यह प्रतीत हो रहा है कि निर्वाचन के समय निगरानीकर्ता द्वारा अनुसूचित जन जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था, जो पश्चातवर्ती पृथक प्रक्रिया के अनुक्रम में जनपद स्तरीय एवं मण्डल स्तरीय समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त आदेश को राज्य संवीक्षा समिति के समक्ष आक्षेपित किया गया है।

15. उपरोक्त तथ्यात्मक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के **फरजन्द अली** की विधि व्यवस्था का उल्लेख करना आवश्यक पाता है, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि जब तक मण्डल स्तरीय समिति अथवा राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रकरण लम्बित है, तब तक प्रमाण—पत्र निरस्तीकरण आदेश अन्तिम आदेश नहीं है और उक्त आदेश के अनुसार निगरानीकर्ता को उसके अन्यथा वैध प्रक्रिया से प्राप्त / निर्वाचित पद पर कार्य करने से विरत नहीं किया जा सकता। उक्त विधि व्यवस्था से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि निगरानीकर्ता का जाति प्रमाणपत्र निरस्तीकरण आदेश अभी अन्तिम आदेश नहीं है और यह संदेह विद्वान विहित प्राधिकारी के मस्तिष्क में भी था, क्योंकि उनके द्वारा अपना आदेश राज्य संवीक्षा समिति के आदेश के अधीन माने जाने का उल्लेख किया गया है, ऐसी परिस्थिति में जहां निगरानीकर्ता का जाति प्रमाणपत्र अभी अन्तिम रूप से निरस्त नहीं हुआ है, वहां यह नहीं कहा जा सकता कि निगरानीकर्ता अपने निर्वाचन के समय पद धारित करने की निर्धारित योग्यता नहीं रखता था।

16. यह भी उल्लेखनीय है कि विद्वान विहित प्राधिकारी ने निर्वाचन याचिका निस्तारित करने में सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों का जहां तक हो सके, वहां तक पालन नहीं किया है और आदेश पत्र के अवलोकन से यह दर्शित नहीं हो रहा है कि उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु किसी भी

तिथि पर आहूत किया गया है। जबाबदेही प्रस्तुत होने के उपरान्त पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत हुई और वादी के साक्ष्य के सम्बन्ध में यह अंकित किया गया कि उन्हें कोई साक्ष्य नहीं देना है। तत्सम्बन्धित पोषणीयता के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र का उल्लेख करते हुए पत्रावली में बहस हेतु तिथि नियत की गयी। मौखिक साक्ष्य हेतु पक्षकारों को अवसर दिये जाने का कोई उल्लेख पत्रावली पर नहीं है। वादी साक्ष्य से प्रतिरक्षा का अवसर दिये जाने का कोई उल्लेख पत्रावली में नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव याचिका बिना उचित प्रक्रिया का पालन किये निस्तारित की गयी है।

17. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विद्वान विहित प्राधिकारी ने धारा—12ग पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत चुनाव याचिका निस्तारित करते समय उक्त धारा के प्रावधानों का सम्यक अवलोकन नहीं किया और उचित वाद बिन्दु विरचित नहीं किये गये। विद्वान विहित प्राधिकारी ने चुनाव याचिका निस्तारित करने में निगरानीकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने और याचिकाकर्ता के साक्षीगण के परीक्षण का अवसर नहीं दिया। विद्वान विहित प्राधिकारी ने इस बिन्दु पर भी ध्यान नहीं दिया कि जाति प्रमाण पत्र निस्तारण सम्बन्धी आदेश अभी अन्तिम आदेश नहीं है और मात्र इस आधार पर चुनाव याचिका स्वीकार कर ली गयी कि जाति प्रमाणपत्र जिला स्तरीय एवं मण्डलीय समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विहित प्राधिकारी ने चुनाव याचिका का निस्तारण करते समय अपने में निहित क्षेत्राधिकार का उचित पालन नहीं किया है। आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध एवं अवैधानिक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। तद्नुसार विचारणीय बिन्दु निगरानीकर्ता के पक्ष में निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

18. निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान विहित प्राधिकारी / उप जिलाधिकारी, निचलौल, महराजगंज द्वारा वाद संख्या—4118 / 2021 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या—टी202105470204118 मनोज बनाम नरेन्द्र अन्तर्गत धारा—12ग उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1947 में पारित आदेश दिनांक 02.11.2023 अपास्त किया जाता है। इस निगरानी निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली इस निर्देश के साथ वापस भेजी जाती है कि विद्वान विचारण

न्यायालय निगरानी निर्णय के प्रकाश में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर विधिसम्मत आदेश पारित करें। पक्षकार विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.03.2024 को उपस्थित हों।

दिनॉक 12.02.2024

(पवन कुमार श्रीवास्तव)
आई0डी0नं0–यू0पी06222
अपर जनपद न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–01, महराजगंज

आज यह निर्णय मेंरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करते हुए सुनाया गया।

दिनॉक 12.02.2024

(पवन कुमार श्रीवास्तव)
आई0डी0नं0–यू0पी06222
अपर जनपद न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–01, महराजगंज

Digitally signed by Pawan Kumar Srivastava
Date: 2024.02.17 17:30:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court